सिफारिशें

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैः

i. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर एफएमजी मार्ग निर्देशों के अनुसार सामायिक रिति में पर्यात निधियां जारी करें। निधियों की प्रतिपूर्ति करें और समयबद्ध रिति में निर्माण एजेंसियों को निधियां जारी करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव बनाएं।

ii. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर राज्य सरकार तथा निर्माण एजेंसियों द्वारा निधियों के उपयोग पर कड़ी निगरानी रखें ताकि निधियों के अवरोधन तथा विपथन का परिहार किया जा सके।

iii. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर व्यय के लेखापरिक्षित विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अयोक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के बाद ही राज्य सरकारों को निधियां जारी/प्रतिपूर्ति करें।

iv. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर यह सुनिश्चित करने के बाद एफएमजी के अन्तर्गत परियोजना अनुमोदित करें कि परियोजनाएं सम्पूर्ण नदी/ सहायक नदी अथवा नदियों/ सहायक नदियों के प्रमुख खण्ड को कवर कर एकीकृत रीति में निरूपित की गई हैं।

v. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर यह सुनिश्चित करने के बाद एफएमजी के अन्तर्गत परियोजनाओं का अनुमोदन करे कि लागत लाभ अनुपात इस संबंध में मार्गनिर्देशों के अनुसार सही प्रकार परिकलित किया गया है।

vi. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर विलम्बित परियोजनाओं को शीध्रपूर्ण करने के लिए और निधारित समय में नई परियोजनाएं पूर्ण करने के लिए प्रभावशाली प्रयास करने के राज्य सरकारों के सलाह दें।

vii. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण करने के बाद निधियां जारी करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए।

viii. केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) सभी टेलीमेट्री स्टेशनों को क्रियात्मक बनाने के द्वारा वास्तविक समय डाटा संचार नेटवर्क पर बाढ़ पूर्वानुमान का निरूपण तेज करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना विकसित और सभी लक्ष्यित टेलीमेट्री स्टेशनों को प्रतिष्ठापित करने के लिए उचित कदम उठाए।

ix. सीडब्ल्यूसी यह सुनिश्चित करे कि चेतावनी तथा खतरा स्तर उचित स्तर पर निर्धारित किए गए हैं ताकि बाढ़ पूर्वानुमान सही प्रकार तथा समय से किए जा सके।

x. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर वार्षिक बाढों से असम, उत्तर बिहार तथा पूर्वी उत्तरप्रदेश को बाढ़ समस्या का दीर्घावधि समाधान सुगम करने के लिए सभी दीर्घावधि आरएमएबीए परियोजनाओं का शीघ्र समापन करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करे।

xi. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर देश के सभी बांधों के लिए बाढ़ डूब मानचित्र तथा जल विज्ञान अध्ययन तैयार करने सहित आपातकालीन कार्ययोजनाएं तैयार करने और लागू करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना राज्य सरकारों के परामर्श से विकसित करे।

xii. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर बांधों के लिए मानक प्रचालन कार्यविधियां तैयार करने के लिए और बांधों के निर्धारित पूर्व तथा पश्च मानसून निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दे।

xiii. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, कार्यबल 2004, जल संसाधनों की संसदीय समिति और राष्ट्रीय जलनीति 2002 तथा 2012 द्वारा की गई सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के लिए और केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में निधियों के निर्गम में इन सिफारिशों को घटक बनाने के लिए राज्य सरकारों को राजी करे।

xiv. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर फ्लड प्लेन जोनिंग का अधिनियम करने और समयबद्ध रीति में लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मामला उठाए।

xv. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर एफएमजी मार्गनिर्देशों के अनुसार सभी एफएमजी परियोजनाओं का निष्पादन मूल्यांकन तथा समवर्ती मूल्यांकन करे।

xvi. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर एफएमजी की निगरानी करनें में रिमोट सेंसिग टेक्नालाज का उपयोग बढाने पर विचार करे।

xvii. सीडब्ल्यूसी/जीएफसीसी क्षेत्रीय दौरों के दौरान निर्माण सामग्री तथा कार्यों की गुणवत्रा का गुणवत्रा परीक्षण सुनिश्चित करे।

xviii. एमओडब्ल्यूआर, आरडीएण्डजीआर पहले ही निर्मित संरचनाओं की क्षति/बह जाने से संबंधित मामलों की शीघ्र समीक्षा करने और आरम्भ न किए गए निर्माण कार्यों के लिए उचित कार्यवाई करने के लिए राज्य सरकारों को राजी करे।